न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 01/17 सन् 2017
आरसीएमएस संख्या 2017/00024
बउनवानीः–

1. भैरूलाल पुत्र हरीश चन्द मीना निवासी मुई तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
2. जमना लाल पुत्र हरीश चन्द मीना निवासी मुई तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. भरतलाल पुत्र उम्मेदकरण मीना निवासी मुई तह0 व जिला सवाईमाधोपुर (मृतक)
   1/1. श्रीमति तुलसा पत्नि भरतलाल मीना निवासी मुई तह. व जिला सवाईमाधोपुर
   1/2. हेमराज पुत्र भरतलाल मीना निवासी मुई तह. व जिला सवाईमाधोपुर
   1/3. हरि प्रसाद पुत्र भरतलाल मीना निवासी मुई तह. व जिला सवाईमाधोपुर
   1/4. कोशल्या पुत्री भरतलाल मीना निवासी मुई तह. व जिला सवाईमाधोपुर
   1/5. किसना पुत्री भरतलाल मीना निवासी मुई तह. व जिला सवाईमाधोपुर
2. इन्द्रराज पुत्र उम्मेदकरण मीना निवासी मुई तह. व जिला सवाईमाधोपुर
3. हरनाथ पुत्र गंगाराम जाति मीना निवासी मुई तह. व जिला सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 950 निर्णय दिनांक 11.2.2014 वाके ग्राम मुई तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री उमाशंकर शर्मा — वकील अपीलान्ट
2. श्री विजेन्द्र विजयवर्गीय — वकील रेस्पो.–1/1 से 1/5
3. श्री संदीप शर्मा — वकील रेस्पो. संख्या–2
4. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा — वकील रेस्पो. संख्या–3

–: निर्णय :– दिनांक 23.9.2019

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 950 निर्णय दिनांक 11.2.2014 वाके ग्राम मुई तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने एवं बैंक को नोटिस दिये बिना तस्दीक किया गया है तथा कब्जे की जॉच किये बिना एवं लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानों की पालना किये बिना ही तस्दीक कर दिया गया है। जबकि नामा0 संख्या 836 द्वारा ए.आर.ओ. के आदेशो को तहसीलदार को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नही है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील के कॉलम संख्या 14 में राजस्व मण्डल के निर्णय की पालना में तस्दीक किया जाना बताया गया है किन्तु जिला कलेक्टर न्यायालय, अति0 सम्भागीय आयुक्त न्यायालय एवं राजस्व मण्डल में निर्णित प्रकरणों में अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाया गया है इसलिए भी उक्त नामा0 खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

विद्वान वकुलाय विपक्षीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। क्योकि नामा0 संख्या 950 दिनांक 11.2.2014 तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा जिला कलेक्टर न्यायालय की अपील संख्या 7/2009 मे पारित निर्णय दिनांक 25.7.2011 एवं राजस्व मण्डल अजमेंर की निगरानी संख्या 6494/12 निर्णय दिनांक 17.12.2013 की पालना में दर्ज फैसल किया गया है। उक्त निर्णयों द्वारा सहायक भूप्रबंध अधिकारी द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 836 दिनांक 13.12.1991 को खारिज किया है नामा0 संख्या 836 से कॉलम संख्या 7 मे वर्णित व्यक्तियों की आराजी को कॉलम संख्या 9 मे वर्णित व्यक्तियों के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की गयी है जिसको उपरोक्त निणर्यो द्वारा गलत माना जाकर उक्त नामा0 को खारिज किया गया है अर्थात नामा0 संख्या 836 के कॉलम संख्या 7 पर वर्णित खातेदारान के नाम उक्त भूमि वापस लगायी गयी है। जहॉ तक अपीलान्ट को अपील संख्या 7/2009 एवं निगरानी संख्या 6494/2012 मे पक्षकार नही बनाये जाने का प्रश्न है तो उक्त अपील हरनाथ द्वारा भरतलाल के विरूद्व पेश की गयी है क्योकि नामा0 संख्या 836 में हरनाथ वगै. के हिस्से की आराजी भरतलाल वगै के नाम दर्ज की गयी थी इसलिए अपीलान्ट को पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य नही था। यदि अपीलान्ट को पक्षकार बनना था स्वंय जाकर पक्षकार बन सकता था। इस प्रकार तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा नामा0 संख्या 950 दिनांक 11.2.2014 श्रीमान के न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.7.2011 एवं राजस्व मण्डल राज0 अजमेंर मे पारित निर्णय दिनांक 17.12.2013 की पालना में दर्ज फैसल किया गया जिसमे किसी प्रकार विधिक त्रुटि नही है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत वकील रेस्पो. द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि वकील रेस्पो. के कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 950 दिनांक 11.2.2014 तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.7.2011 एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के निर्णय दिनांक 17.12.2013 की पालना में दर्ज फैसल किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन के समर्थन में ऐसा कोई विधिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिसके आधार पर आदेश जैर अपील विधि विरूद्व साबित हो सके। इस प्रकार विवादित नामा0 संख्या 950 दिनांक 11.2.2014 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 17.12.2013 की पालना मे दर्ज फैसल किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होने के कारण हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.9.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.11.19 17:45:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: